रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 1987/भाद्र 4, 1909
No. 437] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 1987/BHADRA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1987

अधिसूचना

सा.का. नि. 731(अ) :—केन्द्रीय सरकार जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) नियम, 1987 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (1987 का 10) अभिप्रेत है ।

(ख) "समिति" से धारा 4 के अधीन गठित स्थायी सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का अधीनस्थ कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 13 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ।

(ङ) "उत्पादक" से किसी वस्तु का उत्पादक या विनिर्माता अभिप्रेत है ;

(च) "नमूना" से अधिनियम के उपबन्धों या नियमों के अधीन ली गई कोई जूट पैकेज सामग्री का नमूना अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ज) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं ।

3. समिति की स्थापना और गठन :- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित की जाने वाली समिति में एक अध्यक्ष और बीस से अनधिक इतने अन्य सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाए।

(2) समिति के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे

(3) समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र से या अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति फिर से नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी और उस रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्देशित व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए, यथास्थिति, वह अध्यक्ष या सदस्य, जिसका स्थान वह लेता है, नाम निर्दिष्ट किया गया था।

(4) समिति का अध्यक्ष उसकी बैठकों में अध्यक्षता करेगा ;

परन्तु जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या समिति की किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ हो तो समिति का कोई अन्य सदस्य, जो उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से नाम निर्दिष्ट किया जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) समिति की बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए :

परन्तु समिति की बैठक वस्तुओं या किसी वर्ग की वस्तुओं या उनकी प्रतिशतता का जो धारा 3 के अधीन जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित हों, पुनर्विलोकन वर्ष में कम से कम एक बार करने के लिए होगी।

4. रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना :—प्रत्येक उत्पादक, जो, धारा 3 के अधीन, पैक की जाने वाली वस्तुओं के लिए जूट पैकेज सामग्री का उपयोग करने के लिए अपेक्षित है, प्ररूप 1 में एक रजिस्टर रखेगा और अगले 15 दिन के भीतर प्ररूप 2 में एक विवरणी उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो वस्तु / वस्तुओं के संबंध में अधिकारिता रखता है।

जानकारी और नमूने मंगाने की शक्ति :— (1) प्रत्येक उत्पादक, जिससे वस्तुओं की पैकिंग के लिए जूट पैकिंग सामग्री का प्रयोग करने की धारा 3 के अधीन अपेक्षा की जाती है, सक्षम प्राधिकारी को जब उसे उसको जारी किए गए आदेश या आदेशों द्वारा अपेक्षा की जाए, किसी वस्तु या किसी वर्ग की वस्तुओं अथवा उनकी प्रतिशतता की जो ऐसी पैकिंग की अपेक्षा करती है अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर जो ऐसे आदेश या आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, देगा। प्रत्येक ऐसा उत्पादक जूट पैकेज सामग्री के नमूने भी निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो उक्त आदेश या आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए,देगा। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक ऐसे उत्पादक से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर समय समय पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए मांग कर सकेगा।

(2) यदि कोई उत्पादक उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर देने में असफल रहता है या अशुद्ध अथवा दोषपूर्ण विवरणी देता है तो सक्षम प्राधिकारी उत्पादक पर यह मांग करते हुए सूचना की तामील कर सकेगा। कि वह अपने कराखाने में उत्पादित या विनिर्मित अथवा वहां से हटाई गई वस्तुओं से संबंधित अपने सभी लेखों की अथवा उनमें से किसी को प्रस्तुत करे।

(3) यदि उत्पादक को विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात उनमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से विवरणी में समुचित परिवर्तन कर सकेगा और उसे उपनियम (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पूर्व पुनः प्रस्तुत कर सकेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी की उत्पादक के अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति :—प्रत्येक उत्पादक सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा दी गई जानकारी या विवरणियों की शुद्धता का सत्यापन करने और धारा 3 के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसे किसी स्थान, परिसर या यान में जहां जूट, पैकेज सामग्री में पैक की गई किसी वस्तु का प्रदाय या वितरण के लिए भंडारकरण किया गया है या वह रखी गई है, निरीक्षण के लिए और उससे संबंधित जानकारी के लिए और उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रवेश करने देगा।

7. धारा 3 के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए विचार की जाने वाली अवधि :—जहां कोई आदेश धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वस्तु, किसी वर्ग की वस्तुओं या उनकी किसी प्रतिशतता को , उनके प्रदाय या वितरण के लिए जूट पैकेग सामग्री में पैक करने की अपेक्षा करने वाला किया गया है, वहां उस आदेश का अनुपालन एक कलेंडर मास की अवधि में जूट पैकेज सामग्री की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के प्रयोग के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

8. नई और अप्रयुक्त जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग :—धारा 3 के अधीन जारी किए जाने वाले किसी आदेश में केन्द्रीय सरकार को यह सक्षमता होगी कि वह यह इंगित करे कि केवल नई और अप्रयुक्त जट पैकेज सामग्री का उत्पादक द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. 9/23/87-जूट]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 4 देखिए)

पैक की जाने वाली वस्तुओं में जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग दर्शित करने वाला रजिस्टर

मास 19 उत्पादक का नाम और अवस्थिति

भाग—क

मीट्रिक टनों में मात्रा

मास	मास के प्रारंभ की तारीख को स्टाक	मास के दौरान उत्पादित या विनिर्मित वस्तु की मात्रा	विक्रय/वितरण के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा	जूट पैकेज सामग्री में पैक की गई मात्रा (4 में से)	जूट में पैक किये गये प्रेषणों की प्रतिशतता (5 की 4 से प्रतिशतता)	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7

भाग ख

मास	मास के प्रारंभ में जूट पैकेज सामग्री का स्टाक	मास के दौरान प्राप्त जूट पैकेज सामग्री की मात्रा	मास के दौरान उपभोग की गई जूट पैकेज सामग्री की मात्रा, जिसमें थैलों की किस्में और पृथक रूप से उनकी पैक करने की क्षमता हो	मास के अन्त में जूट पैकेज सामग्री का स्टाक
1	2	3	4	5

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

जूट पैकेज सामग्री और अन्य किस्मों की पैकेज सामग्री में वस्तुओं के पैक करने की बाबत प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी।

.....मास के लिये विवरणी

वस्तु का नाम

उत्पादक का नाम

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

उस कारखाने का पता जिससे विवरणी संबंधित है

1. मास के प्रारंभ में स्टाक में रखी वस्तुओं की मात्रा
2. मास के दौरान उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा
3. उत्पादित या विनिर्मित, किन्तु बरबाद या नष्ट की गई वस्तुओं की मात्रा
4. प्रदाय या वितरण के लिये मास में उपलब्ध कुल मात्रा
5. मास के दौरान प्रदाय की गई या वितरित की गई या प्रेषित की गई वस्तुओं की मात्रा
6. जूट पैकेज सामग्री में 5 में से पैक की गई मात्रा
7. मास के दौरान प्राप्त जूट पैकेज सामग्री की मात्रा
8. मास के दौरान उपभोग की गई जूट पैकेज सामग्री की मात्रा जिसमें थैलों की किस्में और पृथक रूप से उनकी पैक करने की क्षमता हो
9. मास के अंत में जूट पैकेज सामग्री का स्टाक
 (मद 8 + 10 = 11)

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दर्शित विशिष्टियों की अपने/हमारे कारखाने में इस प्रयोजन के लिये रखे अभिलेखों और पुस्तकों से तुलना कर ली है और यह कि वे जहां तक मैं/हम अभिनिश्चित कर सकता हूं/सकते हैं सही और पूर्ण हैं।

उत्पादक के हस्ताक्षर

तारीख : नाम (मोटे अक्षरों में)

स्थान : पदाभिधान :

पता

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th August, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act 1987 (10 of 1987);

(b) "Committee" means the Standing Advisory Committee constituted under section 4;

(c) "Competent authority" means a State Government or any officer or authority subordinate to the Central Government or a State Government as may be specified by the Central Government under section 13;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Producer" means the producer or manufacturer of any commodity;

(f) "Sample" means a sample of any jute packaging material taken under the provisions of the Act or under these rules;

(g) "Section" means a section of the Act;

All words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Establishment and constitution of the Committee.—(1) The Committee to be constituted under sub-section (1) of section 4 shall consists of a Chairman and such other members, not exceeding twenty, as may be nominated by the Central Government.

(2) The members of the Committee shall hold office for a term of three years.

(3) A causual vacancy occurring in the office of the Chairman or any other member of the Committee by death, resignation or otherwise shall be filled by fresh nomination and the person nominated to fill that vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Chairman or, as the case may be, the member whose place he takes, was nominated.

(4) The Chairman of the Committee shall preside at its meetings :

Provided that when the Chairman is absent or is unable to attend any meeting of the Committee, any other member of the Committee as may be nominated in writing by him for the purpose shall preside over the meeting of the Committee.

(5) The Committee shall meet at such place and at such time as may be determined by the Chairman :

Provided that the Committee shall meet at least once a year to review the commodities or class of commodities,or percentage thereof, required to be packed in jute packaging material under section 3.

4. Maintenance of register and submission of return.—Every producer, who is required under section 3 to use jute packaging material for packing commodities shall maintain a register in Form I and submit a return in Form II within fifteen days of the following month to the Competent authority having jurisdiction in respect of the commodity (Commodities).

5. Power to call for information and samples.—(1) Every producer, who is required under section 3 to use jute packaging material for packing of commodities, shall furnish to the Competent authority when so required by an order or orders issued to him, such information in his possession with respect to any commodity or class of commodities or percentage thereof which requires such packing in such form and within such period as may be specified in such order or orders. Every such producer shall also furnish samples of jute packaging material for inspection at such place or places and within such period as may be specified in the said order or orders. The Competent authority may call for the submission of the return from time to ime by every such producer within the date specified by him.

(2) If any producer fails to furnish the return referred to in sub-rule (1) within the specified date or furnishes incorrect or defective return, the Competent authority may serve a notice on the producer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to commodities produced or manufactured in and removed from his factory.

(3) If the producer, after furnishing a return discovers any omission or wrong statement therein, he may with the permission of the Competent authority make appropriate changes in the return and resubmit it any time before he receives the notice under sub-rule (2).

6. Powers of the Competent authority to inspect the records of the producer.—Every producer shall permit the Competent authority to enter at all reasonable times, any places, premises or vehicle where any commodity packed in jute packaging material is stored oe kept for supply or distribution, for inspection and collection of information relating thereto and to inspect the books of accounts and records maintained by him, for the purpose of verifying the correctness of the information or returns furnished by him and securing compliance with the order issued under section. 3.

7. Period to be considered for verifying compliance with order issued under section 3.—Where an order has been issued by the Central Government under section 3 requiring any commodity, class of commodities or any percentage thereof to be packed in jute packaging material for their supply or distribution, the compliance with that order shall be determined with reference to use of specified percentage of jute packaging material in a period of one calendar month.

8. Use of new and unused jute packaging materials.—In any order to be issued under section 3, it shall be competent for the Central Government to indicate that only new and unused jute packaging materials shall be used by the producer.

(F. No. 9|23|87-Jute)
J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

IndiaCode

FORM I

(See rule 4)

Register showing use of jute packaging materials in packing commodities

Month————————19 Name of the producer and location

PART-A Quantity in metric tonne

Month	Stock on the opening date of the month	Quantity of commodity produced or manufactured during the month	Quantity despatched for sale/ distribution.	Quantity (out of 4) packed in jute packaging materials	% age of despatches packed in jute (5 as % age of 4)	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7

PART-B

Month	Stock of jute packaging material at the beginning of the month.	Quantity of jute packaging material received during the month.	Quantity of jute packaging material consumed during the month with types of bags and their packing capacity separately	Stocks of jute packaging material at the end of the month.
1	2	3	4	5

FORM II

See Rule 4

Monthly return to be submitted in regard to packing of commodities in jute packaging materials and other types of packaging materials.

Name of Commodity— Return for the month of———

Name of the producer—

Address of Registered Office—

Address of the factory to which the return relates—

1. Quantity of commodities in stock at the commencement of the month
2. Quantity of commodities produced or manufactured during the month.
3. Quantity of commodities produced or manufactured, but wasted or destroyed.
4. Total quantity available in the month for supply or distribution (Items 1+2—3).
5. Quantity of commodities supplied or distributed or dispatched during the month:
6. Quantity out of 5 packed in jute packaging materials :
7. Quantity of jute packaging material received during the month.
8. Quantity of jute packaging material consumed during the month with types of bags and their packing capacity separately.
9. Stocks of jute packaging material at the end of the month (items 8+10—11).

I/We declare that I/We have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory kept for the purpose and that they are in so far as I/We can ascertain, accurate and complete.

Date:

Place:

Signature of the producer.

Name (In Block Letters)

Designation

Address

IndiaCode

843 GI/87

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987